

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

NW: 2026/163

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 67/2026

प्रार्थी

कैलाश चन्द जोशी वगैरा

बनाम

अप्रार्थी

रवि कक्कड़ वगैरा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनायल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2026	<p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि राजस्व मूल वाद संख्या 2009/00208 अनवान कैलाश चन्द जोशी वगैरा बनाम रवि कक्कड़ वगैरा निर्णय दिनांक 24.12.2024 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया है। इसलिए राजस्व मूल वाद को पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमावे। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. स्वीकार किया जाता है। तथा राजस्व मूल वाद संख्या 2009/00208 अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 24.12.2024 को पुनः बरामद किया जाता है। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी